राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ओमप्रकाश बनाम कालू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक-पृथक वाद संख्या 50/2009 एवं 35/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2018 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 414/2018 व 415/2018 प्रस्तुत की गयी है, जिसमे समान पक्षकार एवं समान प्रश्नगत भूमि होने से दोनों अपील संख्या 414/2018 एवं 415/2018 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/05/2026 को पेश हो		
04/05/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 35/2009 रेस्पो. 1 लगायत 12 ने दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम बास उदयसिंह तन बीलवाडी के साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा, खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा पर वादीगण अपने बुजुर्गों के समय से काबिज काश्त है। हाल सैटलमेंट के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 1250/0.27, 1251/1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा से हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1259/0.31, 1260/0.07, 1261/0.29, 1253/0.64 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि ग्राम बीलवाडी कायम किये गये, जो वर्तमान राजस्व ग्राम बास उदयसिंह में स्थित है । प्रतिवादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र ने हाल सैटलमेंट मे साजकर वादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 549 व 550 से बने हाल खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराली, जबकि उक्त आराजी से प्रतिवादीगण अथवा उनके बुजुर्ग धूडा का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। वादी संख्या 4 लगायत 12 घींसा पुत्र रामसुख के वारिस है, घींसा के फौत होने से इन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा की खातेदारी कालू पुत्र शिवलाल छाजू, चूना पुत्रान रामसुख के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जो साबिक (वादी संख्या 1) एवं सैटलमेंट के समय श्योलाल पुत्र रामचन्दर व रामसुख पुत्र तेजा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है । सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय और आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ओमप्रकाश बनाम कालू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

414/2018, 415/2018

को बदलने के अधिकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र के नाम वादीगण की भूमि का इन्द्राज किया है, जो काबिल दुरूस्ती है। प्रतिवादी के बुजुर्ग धूडा ने सैटलमेंट कर्मचारियों से साज कर मिसल नम्बर 411/82 से खातेदारी अपने नाम कराली, जो मिसल अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, क्योंकि उक्त मिसल का निर्णय किसके द्वारा तथा कब किया गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अतः निवेदन है कि ग्राम बास उदयसिंह के हाल खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर का वादीगण को साबिक रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2018 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दूसरा वाद संख्या 50/2009 अपीलार्थीगण ने दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम बास उदयसिंह तन बीलवाडी के साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा, खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा पर संवत् 2019 खसरा गिरदावरी से वादीगण के बुजगे धूडा पुत्र रामचन्द्र का कब्जा काश्त रहा है, तथा आज भी वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है। हाल सैटलमेंट के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 1250/0.27, 1251/1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा से हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31, 1260/0.07, 1261/0.29, हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर बने है। हाल खसरा नम्बर 1250, 1251, 1252, 1253, 1259, 1260, 1261 में वादीगण के नाम खसरा नम्बर 1251, 1261 की खातेदारी जरिए सैटलमेंट वादीगण के नाम हो चुकी है एवं खसरा नम्बर 1261 में बोरिंग बना हुआ है। खाता संख्या 21 में दर्ज खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31 हैक्टेयर में खाता संख्या 19 में दर्ज खसरा नम्बर 1250 / 0.27 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के

नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों की भूमि वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 549, 550 से बने है, जो वादीगण के कब्जे काश्त मे है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1252, 1253, 1259, 1260, 1250 पर वादीगण का अपने बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त है, इसलिए लगातार कब्जा से वादीगण का इस भूमि पर खातेदारी अधिकार स्वामित्व उत्पन्न हो गया है। अतः अतः निवेदन है कि ग्राम बास उदयसिंह के खाता संख्या 21 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31, 1260/0.07 हैक्टेयर किता 4 रकबा 1.28 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2018 पारित करते हुये वादी का वाद आधारहीन होने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 50/2009 एवं 35/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2018 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 414/2018 व 415/2018 प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप स सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रश्नगत भूमि में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेप्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रश्नाधीन वाद की पत्रावलीयो को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट बिलवाडी में दिनांक 24/05/2018 को पत्रावली बिना कोई पूर्व आदेश के नियत कर साक्ष्य वादी बन्द करते हुये अपीलार्थी/वादी सहित किसी भी पक्षकार की बहस समायत किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी, जो विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ओमप्रकाश बनाम कालू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/4/2018, 4/5/2018		

प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के स्पष्ट रूप से विपरित प्रकट होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसार भी यदि किसी भी पत्रावली को लोक अदालत में नियत किया जाता है तो प्रकरण का दोनों पक्षो की सहमति के आधार पर ही लोक अदालत में नियत किया जाता है तो प्रकरण का दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ही लोक अदालत में निस्तारण किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर बिना सुनवाई किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय दोनों प्रश्नाधीन वाद संख्या 50/2009 व 35/2009 में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की पालना करते हुये पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमश: 414/2018 व 415/2018 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |